उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 /2016/7(120)/XXVII(8)/2015
दिनांक:: देहरादून ::29 फरवरी, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 71 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं–

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2016

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

नियम 11 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 (जिसे आगे "मूल नियम" कहा गया है) के नियम 11 के वर्तमान उपनियम (1) के चौथे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ दिया जाएगा; अर्थात–

परन्तु यह और कि, कमिश्नर, एक सामान्य आदेश द्वारा किसी व्यौहारी अथवा व्यौहारियों अथवा व्यक्तियों की किसी श्रेणी अथवा सभी व्यौहारियों के लिए मासिक सावधिक विवरणी प्रस्तुत करने तथा साथ ही देय कर, समाधान धनराशि, शुल्क, टी0डी0एस0, ब्याज अथवा किसी अन्य धनराशि का भुगतान, मासिक आधार पर करना अनिवार्य कर सकता है।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

सं0 182/2016/7(120)/XXVII(8)/20015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3–भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4–सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
5–एन0आई0सी0
6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

विधि ....अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें

11977
01/03/2016

अपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

E:/Vat Amendment/Rule 11(2)(29-01-2016)

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No 181 /2016/ 181(120) / XXVII(8)/ 2008 dated 29 February, 2016 for general information.

Government of Uttarakhand

Vitta Anubhag-8

No. 181 / 2016/7(120)/ XXVII(8)/ 2015

Dehradun :: Dated:: 29 February, 2016

<u>Notification</u>

In exercise of the powers conferred by section 71 of Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend in the Uttarakhand Value Added Tax Rules, 2005.

The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Rules, 2016

Short title and Commencement **1.** **(1)** These rules may be called The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force at once.

Amendment in Rule 11 **2.** In Rule 11 of the Uttarakhand Value Added Tax Rules, 2005 (herein after referred to as the "Principal Rule") after the existing fourth proviso of sub-rule (1), the following new proviso shall be added, namely-

Provided further that, the Commissioner, may by a general order, make it mandatory for a dealer or a class of dealers or persons or for all dealers, to file a periodical monthly return and to pay due tax, composition money, fee, TDS, interest or any other amount on monthly basis as well.

(Amit Singh Negi)
Secretary

E:/Vat Amendment/Rule 11(2)(29-01-2016)